अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

सा.का.नि. 192(अ).—भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार सलाहकार समिति के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागार प्रत्यायन) विनियम, 2011 के, विनियम 3 के, उप-विनियम (2) में, खंड (ii) और खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ii) स्वामित्व का सबूत या पट्टा विलेख या भाटक करार, जो भांडागार का कब्जा दर्शाता हो ;

(iii) एक वचनबंध कि भांडागार का कारबार चलाने के लिए सभी स्थानीय विधियों का अनुपालन किया गया है ;"

[फा. सं. डब्लयुडीआरए/2014/1-1(1)/तक.II]

रणवीर सिंह, संयुक्त सचिव, डब्लयुडीआरए

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 19(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।